न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर

अपील/डिक्री/टीए/5012/2006/भीलवाड़ा

1- रामचन्द्र (फौत) जरिये वारिसान -
1/1. शारदा दत्तक पुत्री रामचन्द्र पत्नी सुरेश कुमार जाति कोली निवासी सांगानेर कॉलोनी, भीलवाड़ा।

------ अपीलांट

बनाम

1- खेमचन्द पुत्र मांगीलाल कोली निवासी कोली मौहल्ला भीलवाड़ा तहसील व जिला भीलवाड़ा,
2- फतेहलाल पुत्र शंकरलाल कोली निवासी कोली मौहल्ला भीलवाड़ा तहसील व जिला भीलवाड़ा,
3- गणेश कुमार पुत्र शंकरलाल कोली निवासी कोली मौहल्ला भीलवाड़ा तहसील व जिला भीलवाड़ा,
4- श्रीमती बेतुल बेवा अलादीन डबगर निवासी गुलनगरी गली नं0 6 पेट्रोल पम्प के पास सांगानेरी गेट भीलवाड़ा।
5- श्रीमती महरून निशा पुत्री मोहम्मद डबगर निवासी गुलनगरी गली नं0 6 पेट्रोल पम्प के पास सांगानेरी गेट भीलवाड़ा।
6- श्रीमती राबियो पुत्री मोहम्मद डबगर निवासी गुलनगरी गली नं0 6 पेट्रोल पम्प के पास सांगानेरी गेट भीलवाड़ा।
7- राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार भीलवाड़ा।

------- रेस्पो0

खण्ड पीठ
श्री राजेश्वर सिंह, अध्यक्ष
श्री सुरेन्द्र माहेश्वरी, सदस्य

उपस्थित
(1) श्री अशोक अग्रवाल, अभिभाषक अपीलांट।
(2) श्री राकेश अरोड़ा, अभिभाषक रेस्पोडेन्ट सं0 1 से 3

निर्णय **दिनांक :- 31.01.2024**

यह अपील धारा 224, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के अन्तर्गत विद्वान भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाड़ा अपील संख्या 76/2006 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 27-07-2006 बउनवानी रामचन्द्र बनाम खेमचन्द के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2- प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि वादी/रेस्पो0 ने विद्वान परीक्षण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भीलवाड़ा के समक्ष एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 व 92(क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत प्रस्तुत कर वाद में अंकित वादग्रस्त आराजी का प्रस्तुत कर मुख्य अनुतोष चाहा कि वाद घोषणात्मक डिक्री बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण पारित की जाकर वादग्रस्त आराजी का खातेदार वादीगण को घोषित किया जाकर प्रतिवादीगण के नाम से हटाई जाकर राजस्व अभिलेख में वादीगण के नाम दर्ज की जावें। वादपत्र प्रस्तुत होने पर उसे दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को तलब किया गया लेकिन प्रतिवादीगण की ओर से कोई भी उपस्थित नहीं होने के कारण विद्वान परीक्षण न्यायालय ने वादी की एकपक्षीय बहस सुनकर अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 16-01-2006 से वादीगण का वाद डिक्री कर दिया जिसके विरूद्ध अपीलांट ने विद्वान अपीलीय न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाड़ा के समक्ष प्रथम अपील प्रस्तुत की जिसमें विद्वान अपीलीय न्यायालय ने उपस्थित अधिवक्तागण की बहस सुनकर अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 27-07-2006 से अपील अपीलार्थी सारहीन होने से खारिज की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 16-01-2006 को यथावत रखा गया। इसी निर्णय व डिक्री दिनांक 27-07-2006 से व्यथित होकर अपीलांट्स की ओर से यह द्वितीय अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3- हमने अपील पर योग्य अधिवक्तागण की बहस सुनी।

4- अपीलांट के विद्वान अभिभाषक ने अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये तर्क दिये कि विद्वान अपीलीय न्यायालय के निर्णय एवं डिक्री न्याय, नियम एवं रिकॉर्ड के विपरीत होने से निरस्तनीय हैं। मृतक चतरा जो कि आक्षेपित निर्णय के पैरा 3 में दिखाया गया है, परीक्षण न्यायालय के समक्ष यह स्पष्ट था कि अपीलकर्ता भी मृतक चतरा के पुत्रों में से एक है और उसका भी 1/3 हिस्सा विवादित भूमि में था लेकिन विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने अपील को इस आधार पर खारिज कर दिया कि अपीलकर्ता को चैना कोली को गोद ले लिया था और विवादित भूमि पर उसका अधिकार था। विद्वान परीक्षण न्यायालय ने

अपील/डिक्री/टीए/5012/2006/भीलवाड़ा
रामचन्द्र बनाम खेमचन्द

क्षेत्राधिकार के बिना पक्षकार के बीच गोद लेने के संबंध में विवादित फैसला करने के लिए केवल सिविल कोर्ट के पास विशेष क्षेत्राधिकार है इसके लिए गोद लेने के संबंध में कोई मुद्दा नहीं बनाया और अपीलकर्ता को अपना कोई नेतृत्व प्रदान करने का अवसर नहीं दिया था। गोद लेने का प्रश्न कानून और नियमों के तहत आवश्यक साबित नहीं हुआ था। गोद लेने में वर्तमान मामले में गोद लेने पर उचित मुद्दा तैयार करने और प्रतिस्पर्धी पक्षों को अपने साक्ष्य का नेतृत्व करने के लिए उचित अवसर प्रदान करने के बाद गोद लेने पर निर्णय लेने के लिए विद्वान परीक्षण न्यायालय को प्रकरण भेजा जाना चाहिए था। दत्तक के संबंध में प्रावधानों को समझे बिना विद्वान परीक्षण न्यायालय द्वारा गलत निर्णय पारित कर दिया गया। प्रश्नगत आराजी का मालिकाना हक, स्वामित्व और हित पिता चतरा का है। मृतक शंकरलाल के कानूनी उत्तराधिकारी जिनका विवादित भूमि में हिस्सा था, को जानबूझकर पक्षकार नहीं बनाया। चतरा का पुत्र मांगीलाल एक आवश्यक पक्षकार है। अपीलकर्ता ने विजयकुमार के पक्ष में मृतक चतरा के सभी कानूनी वारिसान द्वारा निष्पादित पंजीकृत विक्रय विलेख की प्रति प्रस्तुत की थी। इस विक्रय विलेख में अपीलकर्ता को चतरा का पुत्र दिखाया गया है जिस पर विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने कोई विचार नहीं किया। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर विद्वान अपीलीय न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 27-07-2006 को निरस्त करते हुए विद्वान परीक्षण न्यायालय के निर्णय व डिक्री दिनांक 16-01-2006 को संशोधित किया जावें ताकि अपीलकर्ता को विवादित भूमि के 1/3 हिस्से का खातेदार घोषित किया जा सकें और राजस्व रिकॉर्ड को भी दुरूस्त करने का आदेश दिया जा सकें।

5- विद्वान अभिभाषक रेस्पो0 ने प्रत्युत्तर में तर्क दिये कि विद्वान परीक्षण न्यायालय ने वादीगण का वाद डिक्री हुआ जिसके विरूद्ध अपीलांट की ओर से विद्वान अपीलीय न्यायालय में प्रथम अपील प्रस्तुत की गई जिसे विद्वान अपीलीय न्यायालय ने अपीलांट की अपील को खारिज करते हुए विद्वान परीक्षण न्यायालय के निर्णय को यथावत् रखा। हमारे पक्ष में रजिस्टर्ड विक्रय पत्र है। विक्रय पत्र करने वालो ने सक्षम न्यायालय में कोई अपील प्रस्तुत नहीं की। रामचन्द्र चेना के गोद गया। चेना की

अपील/डिक्री/टीए/5012/2006/भीलवाड़ा
रामचन्द्र बनाम खेमचन्द

आराजी रामचन्द्र ने ले ली तो पिता की जमीन में कैसे हिस्सा लेगा? विद्वान अपीलीय न्यायालय ने अपीलांट की अपील सही खारिज की है। अतः अपील अपीलांट खारिज की जावें। रामचन्द्र अपीलांट चाहे तो अलग से दावा करें।

6- हमने विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं आलौच्य आदेशों व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अध्ययन एवं अवलोकन किया।

7- विद्वान उपखण्ड अधिकारी, भीलवाड़ा अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 16-01-2006 में अंकित किया कि वादीगण का वाद डिक्री किया जाकर वादग्रस्त भूमि में वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे कब्जे काश्त में दखलंदाजी नहीं करें न किसी से करावें।

8- विद्वान भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाड़ा ने अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 27-07-2006 में अंकित किया है कि अपील अपीलार्थी सारहीन होने से खारिज की जाती है और अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 16-01-2006 यथावत् रखी जाती है।

9- अपील के आधारों के संबंध में पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि अपीलार्थी का मुख्य कथन है कि वे भी चतरा कोली की जायन्दा संतान है तथा उनके गोद जाने का कोई प्रमाण प्रत्यर्थी नं0 1 से 3 ने पेश नहीं किया है और उन्होंने उसके हिस्से को चतरा का विधिक उत्तराधिकारी नहीं बताकर डिक्री प्राप्त की है। वह निरस्तनीय है। हमने प्रस्तुत जमाबन्दी सं0 2033-2036 की प्रति का अवलोकन किया जिसमें खाता सं0 36 के खसरा नं0 1372 रकबा एक बीघा एक बिस्वा पर मु0 केसी बेवा चेना कोली के बजाय पुरा खाता रामचन्द्र चेना कोली के नाम पर दर्ज होने की पुष्टि होती है। इसके रिबटल में अपीलार्थी ने कोई दस्तावेज पेश नहीं किया है। इसके अलावा प्रत्यर्थी की ओर से एक दस्तावेज यू आई टी द्वारा जारी अवार्ड की प्रति पेश की जिसमें उक्त भीलवाड़ा की आराजी सं0 1372 रकबा 1 बीघा 1 बिस्वा का मुवावजा भी रामचन्द्र मु0 चैना कोली के नाम पर जारी होना स्पष्ट है। इसके रिबटल में अपीलार्थी वकील ने ऐसा कोई दस्तावेज पेश नहीं

किया है जिससे यह स्पष्ट हो कि रामचन्द्र, चैना के गोद नहीं गया हो। ऐसी स्थिति में अपीलार्थी को अपने पिता की जायदाद में मिलने वाले स्वतः समाप्त हो जाते हैं। अपीलार्थी का कोई लोकस स्टेण्ड नहीं होने से अपील खारिज योग्य है।

जहां तक पक्षकार बनाये जाने का कथन है। माननीय न्याय दृष्टान्त आर0बी0जे0 2007 पेज 15 में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि पीड़ित पक्षकार होने पर ही पक्षकार बनाया जाना चाहिए।

जिससे स्पष्ट है कि विद्वान उपखण्ड अधिकारी, भीलवाड़ा का निर्णय दिनांक 16-01-2006 विधिसम्मत् है जिसे विद्वान अपीलीय न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाड़ा द्वारा विस्तृत विवेचन करते हुए यथावत् रखा गया है जो पूर्णतया उचित है।

10- अतः उपरोक्त विवेचनानुसार अपील अपीलांट स्वीकार योग्य नहीं होने से खारिज जाती है तथा विद्वान उपखण्ड अधिकारी, भीलवाड़ा का निर्णय दिनांक 16-01-2006 एवं विद्वान अपीलीय न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाड़ा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 27-07-2006 यथावत् रखा जाता है।

11- पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुरेन्द्र माहेश्वरी)
सदस्य

(राजेश्वर सिंह)
अध्यक्ष